न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 138 दिनांक 16/01/2023

अनवान :–

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कमाल वगैरा	बनाम	खमीशा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 46/2022 दिनांक : 16.01.2023

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा टांका स्टेशन के खेत खसरा सं. 869/474 रकबा 10.4894 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रूपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन (SDO)

क्रमांक/भू.अ./2023/ 139 to 142 दिनांक 16/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण कमाल वगैरा
3. विप्रार्थीगण खमीशा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धनाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:38:03 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन